

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
-:अधिसूचना:-

संचिका संख्या :-6/वि0पत्रा0-24-07/2024

पटना, दिनांक-

श्रीमती ऋचा कुमारी, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), (अंकेक्षण), तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को विभागीय अधिसूचना संख्या-3514 दिनांक-26.08.2025 द्वारा का दिनांक-01.09.2025 से 31.12.2025 तक 122 दिन एवं विभागीय अधिसूचना संख्या-4821 दिनांक-17.12.2025 द्वारा दिनांक-01.01.2026 से 30.04.2026 तक 120 दिन अर्थात् कुल 242 दिनों का शिशु देखभाल छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

श्रीमती ऋचा कुमारी को अपने पुत्र की देखभाल करने हेतु दिनांक-01.05.2026 से 31.08.2026 तक कुल 123 दिनों का शिशु देखभाल छुट्टी विस्तारित किये जाने संबंधी आवेदन पर सम्यक् विचारोपरांत बिहार सेवा (द्वितीय संशोधन) संहिता, 2014 के नियम-220A के तहत दिनांक-01.05.2026 से 31.08.2026 तक कुल 123 दिनों का शिशु देखभाल छुट्टी विस्तारित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(विजय कुमार)

सरकार के उप सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6/वि0पत्रा0-24-07/2024 1323

पटना, दिनांक-21/04/26

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना -800015/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर/राज्य-कर अपर आयुक्त (अंकेक्षण), तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्रीमती ऋचा कुमारी, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), (अंकेक्षण), तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
बिहार, पटना।